भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1060

दिनांक 09 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

.....

'नमामि गंगे' कार्यक्रम के लिए व्यय की गई निधियाँ

1060. श्री नीरज डांगीः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'नमामि गंगे' कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक कितनी निधियाँ व्यय की गई है और क्या गंगा नदी के जल की गुणवत्ता में कोई वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित सुधार अभिलिखित किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों में औद्योगिक अपशिष्टों तथा सीवेज उपचार हेतु सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) की स्थापना तथा संचालन की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त वर्ष 2014-15 से वर्ष 2025-26 (दिनांक 27 जनवरी 2026 तक) की अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने गंगा और उसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार के उद्देश्य से परियोजनाओं और कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न एजेंसियों को 21,024.84 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), गंगा नदी के पांच मुख्य प्रवाह वाले राज्यों जैसे उत्तराखंड में 19; उत्तर प्रदेश में 41; बिहार में 33; झारखंड में 04; और पश्चिम बंगाल में 15 सहित कुल 112 स्थानों पर गंगा नदी के जल गुणवत्ता की मैनुअल निगरानी करता है। प्रदूषित नदी खंड (पीआरएस) 2025 पर सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, गंगा के मुख्य प्रवाह के प्रदूषण से संबंधित सूचना निम्नानुसार है:

गंगा नदी के मुख्य प्रवाह की राज्य-वार तुलना (वर्ष 2018 बनाम वर्ष 2025)

राज्य	वर्ष 2018 प्रदूषित खंड	प्राथमिकता (वर्ष 2018)	वर्ष 2025 प्रदूषित खंड	प्राथमिकता (वर्ष 2025)	प्रवृत्ति/अवलोकन
उत्तराखंड	हरिद्वार → सुल्तानपुर	IV	कोई पीआरएस नहीं	—	सुधार हुआ और पीआरएस हटा दिया गया
उत्तर प्रदेश	कन्नौज → वाराणसी	IV	बिजनौर → तरीघाट	IV / V	आंशिक सुधार

बिहार	बक्सर से भागलपुर	V	भागलपुर डी/एस→ खलगांव डी/एस	V	मामूली प्रदूषण बना हुआ है
झारखंड	कोई पीआरएस नहीं	—	कोई पीआरएस नहीं	—	—
पश्चिम बंगाल	त्रिवेणी → डायमंड हार्बर	III	बहरामपुर → डायमंड हार्बर	V	सुधार

वर्ष 2025 (जनवरी से अगस्त) के दौरान गंगा नदी के जल गुणवत्ता डेटा (मीडियन वैल्यू) के आधार पर निम्नलिखित अवलोकन किए गए हैं।

(i) पीएच और घुलित ऑक्सीजन (डीओ) नदी स्वास्थ्य के सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं। गंगा नदी का पीएच और घुलित ऑक्सीजन (डीओ) नदी के सभी स्थानों पर स्नान के लिए आवश्यक मानदंड को पूरा करता है।

(ii) निम्नलिखित स्थानों/नदी खंडों को छोड़कर उत्तराखंड, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के पूरे खण्ड में जैव रसायनिक आक्सीजन मांग के संदर्भ में गंगा नदी के जल की गुणवत्ता स्नान के मानदंडों के अनुरूप है:

- फर्रुखाबाद से पुराना राजापुर, कानपुर।
- डलमऊ, रायबरेली।
- उत्तर प्रदेश में डी/एस मिर्ज़ापुर से तारीघाट, गाज़ीपुर तक (दो स्थानों को छोड़कर अर्थात गोमती नदी के संगम के पश्चात वाराणसी में प्रतिप्रवाह और गाज़ीपुर में प्रतिप्रवाह)।

वर्ष 2024-25 के दौरान गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे 50 स्थानों पर और यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे 26 स्थानों पर की गई जैव निगरानी के अनुसार, जैविक जल गुणवता (बीडब्ल्यूक्यू) ज़्यादातर 'अच्छी' से 'मध्यम' के बीच थी। विभिन्न प्रकार के बेंथिक मैक्रो-इनवर्टिब्रेट प्रजातियों की उपस्थिति नदियों में जलीय जीवन बनाए रखने की पारिस्थितिक क्षमता को प्रदर्शित करती है।

(ख): गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार हेतु नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत औद्योगिक प्रदूषण निवारण के लिए तीन (03) सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) अर्थात जजमऊ सीईटीपी (20 एमएलडी), बंथेर सीईटीपी (4.5 एमएलडी) और मथुरा सीईटीपी (6.25 एमएलडी) को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से दो परियोजनाएं अर्थात मथुरा सीईटीपी (6.25 एमएलडी) और जजमऊ सीईटीपी (20 एमएलडी) पूर्ण हो चुके हैं। इसके अलावा, प्रदूषित नदी खंडों के उपचार हेतु कुल 218 सीवरेज अवसंरचना परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनकी उपचार क्षमता 6,610 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) है। इनमें से 138 परियोजनाएं, जिनकी कुल क्षमता 3,977 एमएलडी है, पूर्ण हो चुकी हैं और प्रचालन में है।

*****